आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3
अभिलेख उपस्थापित। (1.) श्री बेनी राम पिता स्व0 तुलसी राम, निवास स्थान-खिरगाँव चमार टोली, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग (2.) श्री कैलाश राम पिता स्व0 तुलसी राम, निवास स्थान को-ऑपरेटिव कॉलोनी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग (3.) धनेश्वरी देवी पति स्व0 मुन्नीलाल राम, निवास स्थान-खिरगाँव चमार टोली, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग (4.) चमेली देवी पति स्व0 मोहन राम, निवास स्थान-सुभाष नगर, हजारीबाग एवं (5.) गीता देवी पति स्व0 तिलेश्वर राम, निवास स्थान-खिरगाँव चमार टोली, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिरसी-I, थाना नं0-144, खाता संख्या-36, प्लॉट संख्या-107, रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि श्रीमती दसनी देवी पति किशुन राम, निवास स्थान ग्राम-कण्डाबेर, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदकगण एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, बँटवारानामा, खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.- RCMSON21013736 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-11/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 77/रा0 दिनांक 06.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 602 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि - क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत शिवचरण चमार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 9.39 एकड़ है। पंजी-।। के अनुसार धारित कुल रकवा 2.9974 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-62/I पर माधो चमार के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2021-22 तक लगान रसीद निर्गत् है। आवेदकगण के परदादा, परदादा ससुर वगै0 जमाबंदी रैयत हैं। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने	

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	

के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 2.9174 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदकगण को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदिकागण के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को नारंगी रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) श्री बेनी राम पिता स्व0 तुलसी राम, निवास स्थान-खिरगाँव चमार टोली, थाना-सदर, ज़िला-हजारीबाग (2.) श्री कैलाश राम पिता स्व0 तुलसी राम, निवास स्थान को-ऑपरेटिव कॉलोनी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग (3.) धनेश्वरी देवी पति स्व0 मुन्नीलाल राम, निवास स्थान-खिरगाँव चमार टोली, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग (4.) चमेली देवी पति स्व0 मोहन राम, निवास स्थान-सुभाष नगर, हजारीबाग एवं (5.) गीता देवी पति स्व0 तिलेश्वर राम, निवास स्थान-खिरगाँव चमार टोली, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिरसी, थाना नं0-144, खाता संख्या-36, प्लॉट संख्या-107, रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि श्रीमती दसनी देवी पति किशुन राम, निवास स्थान ग्राम-कण्डाबेर, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.16 14:55:11 +05:30
Location: 192.168.100.2